

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम:-

मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेने में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 है० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।


मानक शर्त

1. वनभूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदाचि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वनभूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रखरखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छाइत एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वचन्द्र विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसिंहों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग/संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किए बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित वन विभाग को वापस हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र वन भूमि पर कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन नंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तनान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जाएगा।
14. हस्तान्तरित भूमि ने पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के अनुसृत वृक्षारोपण का मुगातान अथवा अनुसृत गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रत्ताधित भूमि के दुर्गम गैर वानिकी क्षेत्रकल में वृक्षारोपण हथा हीन रूप तक परियोग व्यव जो भी वन विभाग द्वारा तद किया जाय का मुगातान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उन विभाग को किया जायेगा। 1000 नोटर एवं 30° न इंधेन वाल पर खड़े वृक्षों का यातन निषिद्ध है। इसी प्रकार ढाँचे पेड़ों पर यातन भी बर्जत है। ऐसे वृक्षों के यातन का निरोक्षण सम्बन्धित उन संरक्षक स्तर पर हो जाएगा।
15. वन भूमि पर प्रत्ताधित विद्युत चारकण लाइन के ऊरिओर के नीचे यद्या तन्त्रव पेड़ों का यातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाइन के ऊरिओर को ऊचा कर अधिक संख्या में पेड़ों दबाया जायेगा। यदि किर भी पेड़ों का यातन अनिवार्य प्रतीत होता है, तो तन्त्रतन पेड़ों की संख्या तन्त्रक स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उष्ट उन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगा।
16. यदि नहर आदि निर्माण ने भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक सन्दर्भ जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उस्त कार्य को स्वयं के व्यव से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
ऋषिकेश



अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
ऋषिकेश

